संख्याः 518/1–11–2016–रा0–11

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
गोमती नगर लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 10 दिसम्बर, 2016

विषयः राज्य आपदा प्रबन्ध योजना 2016–17 के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1195 रा0आ0प्र0प्रा0/18/एस0डी0एम0पी0/2016–17 दिनॉक 03.06.2016 जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम की धारा–23 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य आपदा प्रबन्ध योजना को उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण से अनुमोदित कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आपके उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त राज्य आपदा प्रबन्ध योजना 2016–17 को राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–23 में दी गयी व्यवस्था एवं इस सम्बन्ध में भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जुलाई, 2007 में निर्गत गाइड–लाइन के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।

3. अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनॉक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को राज्य आपदा प्रबन्ध योजना 2016–17 की प्रति सहित।
2. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एन0डी0एम0ए0 भवन, नई दिल्ली राज्य आपदा प्रबन्ध योजना 2016–17 की प्रति सहित।
3. राहत आयुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, गोमती नगर लखनऊ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजाराम)
संयुक्त सचिव।